(400)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक-प.3(176)नविवि/3/84

जयपुर, दिनांक 20 MAY 2013

परिपत्र/आदेश

विषय:- गाडिया लुहार तथा राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु।

राज्य सरकार द्वारा गाडिया लुहारों को 50 वर्गगज निःशुल्क भूमि निर्धारित शर्तों पर आवंटन करने हेतु आदेश जारी किये गये थे एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.12 द्वारा 50 वर्गगज तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु दिनांक 31.03.2013 तक अवधि बढायी गयी थी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए गाडिया लुहारों की तर्ज पर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों को भी जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/समस्त नगर सुधार न्यास एवं सभी स्थानीय निकाय "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" में आयोजित शिविरों में उक्त जातियों के परिवारों (सिवाए ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध है) को 50 वर्गगज तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटन सुनिश्चित करने हेतु शिविरों में आवेदन प्राप्त करने तथा अभियान अवधि में कोई आवेदन निस्तारण से शेष रह जाता है तो उसका निर्णय दिनांक 31.03.2013 तक follow-up शिविरों में किये जाने हेतु आदेश जारी किए गए थे।

अब राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार उक्त अवधि दिनांक 30.09.2013 तक बढाए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर।
9. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, ... राजस्थान
11. समस्त जिला कलक्टर, ...राजस्थान।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त आदेश समस्त संबंधित को प्रसारित किये जाने हेतु।
14. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर समस्त संबंधित को उक्त आदेश प्रसारित किये जाने हेतु।
15. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास ______ ....।
16. रक्षित पत्रावली।

(एन0एल0मीना) 17/5/2013
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

Goyal Hemendra/UDH/Order/2013

(231)